



कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली- जयपुर II  
निदेशालय प्रसार शिक्षा  
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर



मेजर (डा.) एस.एस. शेखावत  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Email pc.kvk.gonera@sknau.ac.in  
Mobile No. 9408660365

क्रमांक KVK/KTP/2020/36-43

दिनांक: 17.6.2020

**खुली निविदा सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा निम्नानुसार कुशल एवं अकुशल अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी सभी अर्हताएं एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी हैं एवं कार्यालय सूचना पट्ट तथा वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।

कार्य का क्रमांक एवं नाम	1. अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य
कार्य का विवरण	कुशल एवं अकुशल अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति
कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत रु	5.00 लाख रु.
परोहर राशि	रु 10000/-
निविदा फार्म की लागत	रु 500/-
प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	27.06.2020 को सुबह 11.00 बजे तक
निविदा जमा कराने का दिनांक व समय	27.06.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक व समय	27.06.2020 को दोपहर 12.30 बजे

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

**सुपर्ण सिंह**  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, गाननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने के लिए अपना प्रतिनिधि दिनांक 27.06.2020 को भिजवाए।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने के लिए अपना प्रतिनिधि दिनांक 27.06.2020 भिजवाए।
4. टेप कमेटी प्रभारी/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. सवांद, सूचना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर,
7. कार्यालय सूचना पट्ट पर चरपा हेतु।
8. रक्षित फाइल

**सुपर्ण सिंह**  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

(लिफाफा न. 1में रखे )

## कृषि विज्ञान केन्द्र

गोनेड़ा, कोटपूतली-जयपुर फोन नं. 9408660365

### श्रमिक आपूर्ति

### तकनीकी निविदा प्रपत्र 2020-21

निविदादाताफर्म का नाम व पता मय दूरभाष :- .....

1. बोली प्रतिभूति राशि डी.डी.सं./ बैंकर्स चैक सं..... दिनांक ..... राशि.....
2. जी.एस.टी.नं. (छायाप्रतिसालग्नकरे) .....
3. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
5. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
6. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा।
7. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा
8. निविदा सील लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. श्रमिकों को कृषि कार्य के हेतु जैसे निराई/गुड़ाई/कटाई/सिंचाई/ दवाईयों का छिड़काव/ थ्रेसिंग कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
10. निविदादाता को कृषि कार्यो का पूर्ण अनुभव होना चाहिए।
11. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात कोष कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
12. निविदा दिनांक 27.06.2020 को दोपहर 12.30 बजे क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
13. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कोटपूतलीरहेगा।
14. धरोहर राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
- 15-Registration of Labour Department (Photo Copy)
- 16-Registration of GST, ESI & EPF (Photo Copy)
- 17-PAN No. ....( Photo Copy)
- 18-Experience of two year in Rajasthan Govt. Department
19. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।
20. अपलोड निविदाफार्म भरनेपर निविदा फार्म का शुल्क रु. 500/- का डीडी/बी.सी पृथक से संलग्न करें।

सुष्मा सिंह

लिफाफा न.1में रखे )

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

1. योजना का नाम :i.Revolving fund and ICAR PLAN ii.कृषि विज्ञान केन्द्रफार्म के कार्य:- कुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति
2. बजट मद % i.Recurring Contingency ii.Revolving fund
3. कार्य की अनुमानित अवधि : 01.07.2020 से 30.06.2021
4. धरोहर राशि:डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा रूपये कुल धरोहर राशि 10000
5. निविदा फार्म की कीमत : रूपये 500/-
6. निविदा संदर्भ : कृषि कार्यों हेतु अकुशल श्रमिक एवं कुशल श्रमिक आपूर्ति
7. निविदा प्रपत्र : एक
8. निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक : प्रत्येक कार्य दिवस एवं दिनांक 27.06.2020को प्रातः 11.00 बजे तक
9. निविदा खोलने का दिनांक व समय : 27.06.2020 दोपहर 12.30 बजे, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली
10. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि : 27.06.2020 दोपहर 12.00 बजे
11. पत्र व्यवहार हेतु पता : कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा, कोटपूतली
12. फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूचि में नहीं है , 100रु. के स्टॉम्प पेपर पर देवे।(लिफाफा न.1में रखे )
13. दरे प्रपत्र-2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु अकुशल श्रमिक एवं कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।  
संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखें।)

क्रस.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

सुयोग सिद्ध

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षरमय  
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

(लिफाफा न.2 में रखे )

**कृषि विज्ञान केन्द्र**  
गोनेड़ा, कोटपूतली –जयपुर फोन नं. 9413906987  
**श्रमिक आपूर्ति**  
**वित्तीय निविदा प्रपत्र 2020–21**

(II)-श्रमिक आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

क्रस	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या			EPF दरप्रतिशत (13.00%)	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानित संख्या (1350)	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अकुशल	225					
2		कुशल श्रमिक / ड्राईवर	249					

\* ESI दर यदि कोटपूतली में देय है तो उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा।

कोटपूतलीके ग्रामीण क्षेत्र में आने पर ईपीएफ एवं ईएसआई तदनानुसार संबोधित दर पर दी जावेगी।

Note: GST दर नियमानुसार देय होगी।

सुपर्ण सिंह

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय  
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

निविदा की शर्तः—

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजात के साथ संबधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण संबधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बावत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबधित संवेदक का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग कर अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदकों को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
8. संवेदक द्वारा श्रमिकों के देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। समी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST)के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
9. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम

विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उननियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छटनी, नुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
12. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किराी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या नुआवजा देने/ई.एस.आई.करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को ऋणित कराने की कार्यवाही करेगी।
14. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
15. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
16. प्रस्तावित निविदा फार्म मुहरबन्द में कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र कोटपूतली को लिफाफे के ऊपर निविदा "कार्य अनुबन्ध" लिखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म निविदा की दरों में किसी भी प्रकार की काट-छाट स्वीकृत नहीं की जायेगी।
17. निविदादाता (टेकेदार) निविदा फार्म प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा फार्म प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। इस कार्य की अनुमानित लागत 3.00 लाख रुपये है।
18. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का लाईसेंस होना आवश्यक है जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा, बिना लाईसेंस के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
19. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक श्रमिकों का भुगतान करना होगा चाहे बिलों का भुगतान प्राप्त किया हो या नहीं। टेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम दरों (वेतन) से कम भुगतान नहीं करना होगा।
20. अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से 30.06.2021 तक के लिए मान्य होगी। संतोषजनक सेवाए होने पर नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
21. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

सुपरी सिई

22. निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। श्रमिकों का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर तुरंत प्रभाव से हटाना होगा।
23. निविदादाता को अपना आई.डी.प्रूफ व मोबाइल नं. इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
24. विभिन्न कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार विभागध्याक्ष/फार्म इंचार्ज/फार्म मैनेजर, शस्य वैज्ञानिक या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा मनोनीत व्यक्ति तय करेंगे और उसी आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। ठेकेदार को रात्रि में फसलों की सिंचाई व अन्य कार्य जैसे चौकीदारी आदि केवल पुरुष श्रमिकों से ही करवाना होगा।
25. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में कृषि विज्ञान केन्द्र में उपस्थित रहना होगा। कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिकों की संख्या व दिनांक कृषि विज्ञान केन्द्र के संबंधित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होने व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।
26. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
27. यदि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि कृषि विज्ञान केन्द्र उसकी अमानत में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर ठेकेदार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
28. यदि निविदादाता अपना कार्य निरिक्त अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा नियमानुसार शास्ती(Penalty) वसूली जाएगी।
29. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा रागय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदार आदि कार्यों की महत्ता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कृषि विज्ञान केन्द्र उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेगा जिसका भुगतान द्वारा जमा अमानत राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो कृषि विज्ञान केन्द्र को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
30. सफल निविदादाता को उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने संबंधी एक अनुबंध पत्र 500/-रु. का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ठेकेदार द्वारा भरना अनिवार्य होगा।
31. ड्राइवर के पास वाहन चलाने का लाईसेंस होना अनिवार्य है।
32. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र कोटपूतलीको होगा।

उक्त निविदा की शर्तों को मैंने मली-भांति पढ़ लिया है और समझ लिया है, मैं इनसे सहमत हूँ और इनका पालन करूँगा।

सुधका सिंह

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय  
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर